भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:2321

उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 4 अगस्त, 2025

13 श्रावण, 1947(शक)

कलाकृतियों और स्मारकों का डिजिटल संरक्षण

2321. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा,विशेषकर कर्नाटक राज्य में, डिजिटल रूप से संरक्षित किए गए स्मारकों, कलाकृतियों और सांस्कृतिक स्थलों की संख्या कितनी है और इन डिजिटल परिसंपत्तियों का शैक्षिक और पर्यटन उद्देश्यों के लिए किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है;
(ख) कर्नाटक सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच, अलिखित या कम ज्ञात धरोहर स्थलों का डिजिटल मानचित्रण करने के लिए कितना सहयोग हुआ है और आधिकारिक धरोहर डेटाबेस को अद्यतन बनाने और रखरखाव में आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या हैं;
(ग) क्या सरकार के पास भारत की धरोहर के डिजिटल पुनर्निर्माण को वैश्विक दर्शकों के लिए सुलभ बनाने की कोई नीति है और विदेशों में भारतीय पुरावशेषों से संबंधित प्रतिलिप्याधिकार, मूलस्रोत या पुनर्प्राप्ति दावों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएहैं; और
(घ): कर्नाटक में पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान शुरू की गई डिजिटाइजेशन परियोजनाओं, वित्तपोषण और संस्थागत सहायता सहित सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पहलों का विस्तृत ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): राष्ट्रीय संस्मारक एवं पुरावशेष मिशन द्वारा कर्नाटक में आजतक प्रलेखित असुरक्षित स्मारकों और पुरावशेषों की कुल संख्या: 904 पुरावशेष और 312 निर्मित धरोहर एवं स्थल है। यह आँकड़ा राष्ट्रीय संस्मारक एवं पुरावशेष मिशन की वेबसाइट http://nmma.nic.in पर अपलोड किया गया है।राष्ट्रीय संस्मारक एवं पुरावशेष मिशनकेअलावा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बैंगलोर, धारवाड़ और हम्पी मंडलों ने कर्नाटक राज्य में 177 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों का स्थलाकृतिक और फोटोग्रामेट्रिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है।

(ख): राष्ट्रीय संस्मारक एवं पुरावशेष मिशन, मंडल कार्यालयों के सहयोग से,विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशालाएँ आयोजित कर रहा है ताकि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य इच्छुक संगठनों को प्रशिक्षण प्रदान किए जा सकें।कर्नाटक राज्य सहित देश के प्रत्येक राज्य में राज्य-स्तरीय कार्यान्वयनसमिति (एसएलआईसी) को पुनर्गठित करने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि दस्तावेज़ीकरण कार्य में तेज़ी लाई जा सके।

(ग): सरकार, विदेश भेजे गए पुरावशेषों को स्वदेश वापस लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करती है। जब कभी, भारतीय मूल की कोई अवैध रूप से निर्यात किया गया पुरावशेषविदेशी धरती पर पाया जाता है, तो उसे वापस लाने के लिए भारतीय मिशनों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणद्वारावर्ष 1976 से अभी तक,655 पुरावशेषों को वापस भारत लाया गया है।

(घ): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत, बैंगलोर, धारवाड़ और हम्पी मंडल केंद्रीय संरक्षित स्मारकों केसांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का कार्य करते हैं।उपरोक्त प्रयोजन हेतु, पिछले 2 वर्षोंऔर वर्तमान वर्ष के दौरान, किया गया व्यय निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	मंडल का नाम	वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया व्यय	वर्ष 2024-25 के दौरान किया गया व्यय	वर्ष 2025-26 के दौरान किया गया व्यय
1	बैंगलोर	173,349,537	50,4999,895	47,734,574
2	धारवाड़	23,175,393	94,058,99	4,412,665
3	हम्पी	12,24,98,772	65,195,861	34,749,671
कुल		31,90,23,702	57,96,01,665	8,68,96,910

*****